

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

क्रमांक-एफ 21(1)(225)पूल / आईसीडीएस / 123203-235 जयपुर, दिनांक:

समस्त उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग।

20.9.16

विषय :- नकारा घोषित व नकारा योग्य वाहनों को राज. स्टेट मोटर गैराज में जमा कराने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं। कि आपके कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों में जिन वाहनों को नकारा घोषित कर दिया गया है उन्हें स्टेट मोटर गैराज में दिनांक 15-11-16 से 26-11-16 तक जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जो वाहन नकारा योग्य है उन वाहनों को शीघ्र कमेटी का गठन कर नकारा घोषित करवाते हुए निर्धारित समय अवधि में राज. स्टेट मोटर गैराज में जमा कराया जाना सुनिश्चित करावें।

नकारा योग्य एवं नकारा घोषित वाहनों पर यदि कोई वाहन चालक आपके जिले में पदस्थापित हैं तो उन्हें शीघ्र कार्यमुक्त कर निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु भिजवाएं।

प्रभारी अधिकारी(पूल)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एफ 21(1)(225)पूल / आईसीडीएस / 123236

जयपुर, दिनांक: 20.9.16

प्रतिलिपि :- कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

प्रभारी अधिकारी(पूल)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।